न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 30/2020 वाद

सुरजमल पिता भंवरलाल कुलमी आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0

– वादी

//बनाम//

1. कालूलाल पिता भंवरलाल जाति कुलमी आयु वयस्क, निवासी केली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
2. भवानीशंकर पिता भंवरलाल जाति कुलमी आयु वयस्क, निवासी केली तह0निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
3. रेखा पुत्री फतेहलाल पत्नि श्यामलाल जाति कुलमी आयु वयस्क, निवासी केली तह0निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
4. कृष्णा पुत्री फतेहलाल पत्नि अशोक जाति कुलमी आयु वयस्क, निवासी केली तह0निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
5. सोनिया पुत्री फतेहलाल जाति कुलमी आयु वयस्क, निवासी केली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0
6. पुष्पा बाई बेवा फतेहलाल कुलमी आयु वयस्क, निवासी केली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव, अधिवक्ता वादीगण, उपस्थित

श्री घनश्याम असावा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण, उपस्थित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक **24.06.2020**

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आाराजियात वाके मौजा केली तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 383 की आराजी नं. 1332, 1337, 1340, 1343, 1345, 2077, 2091 कुल कीता 7 कुल रकबा 7.0000 हैक्टेयर, भूमि स्थित है। जो वादी के पिता भंवरलाल पिता चेनराम कुलमी के जमाने से चली आ रही है। भंवरलाल का देहान्त 11.12.2019 को हो गया है। भवंरलाल के वैध उत्तराधिकारी उनके चार पुत्र वादी सुरजमल, प्रतिवादी नं. 1 हुक्मीचन्द, प्रतिवादी नं. 2 भवानीशंकर एवं पुत्र फतेहलाल हुए, फतेहलाल का आज से करीब 20 वर्ष पूर्व फोत हो चुका है। इसलिए फतेहलाल के वैध उत्तराधिकारी प्रतिवादी नं. 3 से 5 उनकी पुत्रियां एवं प्रतिवादी 6 उनकी बेवा है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात में वादी का 1/4 हिस्सा तथा

प्रतिवादी नं. 1 का 1/4 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं. 2 का 1/4 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं. 3 से 6 का संयुक्त 1/4 हिस्सा है इसी अनुसार मौके पर

वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी ने अपना हिस्सा अपने नाम घोषित करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीगणों को कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये है। इसलिए मजबुरन वादी को यह दावा प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा डिक्री किया जावे तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा विवादित भूमि में घोषित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा वादी के कथनों को स्वीकार करते हुए राजीनामा प्रस्तुत किया। उभय पक्ष ने राजीनामें अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनाम तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम केली की खाता संख्या 383 की प्रमाणित प्रतियां एवं भंवरलाल का मत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। राजस्व रेकार्ड अनुसार उक्त विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता भंवरलाल के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि को पुश्तैनी स्वीकार करते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण राजीनामा अनुसार हक हिस्सा दिये जाने हेतु सहमत है। वादी का दावा राजीनामें अनुसार डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादीगण राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा केली तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 383 की आराजी नं. 1332, 1337, 1340, 1343, 1345, 2077, 2091 कुल कीता 7 कुल रकबा 7.0000 हैक्टेयर, भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 1 का 1/4 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं. 2 का 1/4 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं. 3 से 6 का संयुक्त 1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन यथावत रखा जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 24.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 30/2020 वाद

सुरजमल पिता भंवरलाल कुलमी आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0

– वादी

//बनाम//

1. कालूलाल पिता भंवरलाल जाति कुलमी आयु वयस्क, निवासी केली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
2. भवानीशंकर पिता भंवरलाल जाति कुलमी आयु वयस्क, निवासी केली तह0निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
3. रेखा पुत्री फतेहलाल पत्नि श्यामलाल जाति कुलमी आयु वयस्क, निवासी केली तह0निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
4. कृष्णा पुत्री फतेहलाल पत्नि अशोक जाति कुलमी आयु वयस्क, निवासी केली तह0निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
5. सोनिया पुत्री फतेहलाल जाति कुलमी आयु वयस्क, निवासी केली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0
6. पुष्पा बाई बेवा फतेहलाल कुलमी आयु वयस्क, निवासी केली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

प्रकरण में आज दिनांक को वादी की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्याम असावा की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस के लिए प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा केली तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 383 की आराजी नं. 1332, 1337, 1340, 1343, 1345, 2077, 2091 कुल कीता 7 कुल रकबा 7.0000 हैक्टेयर, भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 1 का 1/4 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं. 2 का 1/4 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं. 3 से 6 का संयुक्त 1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। **बैंक रहन यथावत रखा जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।**

यह आज तारीख 24.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.06 14:57:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: